International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 1, January 2022 |

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली में आए सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन

Surendra Singh

Assistant Professor, Sociology, Government College, Siwana, Barmer, Rajasthan, India

सार

आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये और उन सुधारों तथा विस्तारों के संबंध में सुझाव देने के लिये जो कि वर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरतों और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय हो सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी।इसने अनुशंसा की कि यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल की तर्ज पर विश्वविद्यालय अनुदान समिति का पुनर्गठन किया जाए जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से की जाए।

परिचय

आज़ादी के बाद के वर्षों में उच्च शिक्षा क्षेत्र की संस्थागत क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 1950 में 20 विश्वविद्यालयों की तुलना में बढ़कर 2018 में 850 हो गई है। कालेजों की संख्या में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है जो 1950 में 500 से बढ़कर वर्तमान में लगभग 40,000 से अधिक हैं। अतः शैक्षिक संस्थाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण UGC के पास कार्यों का अत्यधिक बोझ परिलक्षित होता है।[1]UGC द्वारा शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान किये जाने और नियमों के विनियमन के समय प्रदर्शन में काफी अंतर देखा जा रहा था। कार्यपालिका और विधायिका की तर्ज पर वित्तीयन और निगरानी का कार्य स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा किये जाने से अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद की जाती है जो कि अभी तक एक ही संस्था अर्थात् UGC के द्वारा ही किया जाता रहा है।अभी तक शैक्षिक संस्थाओं के लिये वित्त का आवंटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कि UGC के माध्यम से कॉलेजों और विश्वविद्यालाओं तक पहुँचता है, लेकिन नई व्यवस्था के माध्यम से यह वित्त सीधे संस्थाओं तक बिना किसी माध्यम के पहुँचेगा।आज हम ज्ञान आधारित अर्थव्यस्था (नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी) में काम कर रहे हैं और जिस तरह के श्रमबल की ज़रूरत है, उस पर हमारी शिक्षा प्रणाली द्वारा गौर नहीं किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों से अधिकतर ऐसे छात्र निकल रहे हैं, जो रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का उद्योगों से बेहतर तालमेल नहीं है। भारत का कोई भी शैक्षिक संस्थान विश्व स्तर के अनुरूप नहीं है,[2] अतः UGC की निगरानी प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं, साथ ही संस्थाओं की रैंकिंग, मूल्यांकन और अन्य मापदंडों ने शिक्षा स्तर में सुधार को अपरिहार्य बना दिया है। स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय शिक्षा के विकास में नये युग की शुरूआत हुई। भारतीय संविधान में शिक्षा के महत्व को भली भांति स्वीकार किया तथा देश की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्वों को केन्द्र एवं राज्यों के मध्य अनुकूल ढंग से विभाजित कर दिया जिससे केन्द्र एवं राज्य अपने-अपने स्तर पर शिक्षा का नियोजन करके शैक्षिक विकास को सुनिश्चित कर सकें। स्वतंत्रता के पश्चात एक प्रमुख समस्या शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन तथा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना था। सभी को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, निरक्षरता, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार, विज्ञान तकनीकी शिक्षा का विस्तार, लड़कियो, पिछड़ो, अ.जा/अ.जा.जा. व अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करना तथा मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा व राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने जैसी अनेक समस्यायें भारत के शिक्षाविदों के समाने थी।[3] इन सब समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई आयोग एवं समितियों का गठन किया जिनकी सिफारशों पर अमल करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था में निरन्तर सुधार किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् सन 1948 में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सन् 1952 में डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा का आयोग तथा सन् 1964 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन विभिन्न स्तरों की शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनका समाधान निकालने के लिए किया.[4] इसी प्रकार केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई समितियों का गठन भी किया। सन 1968 तथा सन् 1986 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सन् 1979 में तैयार किया गया शिक्षा का मसौदा भी भारतीय शिक्षा के विकास के कुछ दिलचप्स मोड़ है। सन् 1986 व सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किये गये। सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन भी किये गये। सन् 2018-19 में नई शिक्षा नीति आने की सम्भावना है जिनकी तैयारी चल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार लाने के लिए सत्ताधीश सरकार द्वारा समय समय पर कई प्रयास किये गए । शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कई सारी नीतियां लागू की गई । इन नीतियों को लागू करने का मुख्य

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 1, January 2022 |

उद्देश्य शिक्षा (Education) की गुणवत्ता में सुधार करना था। [5]लेकिन आधुनिकता, वैश्वीकरण,पाश्चात्य सभ्यता के इस युग में भारतीय शिक्षा पद्धति,तथा संस्कृति का पतन होता गया । जिसका बुरा असर हमारे आज के समाज पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपनी मातृभाषा को त्याग कर विदेशी भाषा को भी भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया।मैकाले द्वारा बनाई गई वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रित कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने का एक काम किया। मैकाले की शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य भारत देश मे – संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना तथा इसके साथ ही सरकार चलाने के लिए देश के युवा अंग्रेजों को तैयार करना था । मैकाले की इस शिक्षा प्रणाली (Education System) के जरिए वंशानुगत कर्म के प्रति घृणा पैदा करने और परस्पर विद्वेष फैलाने की भी कोशिश की गई थी। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा करना भी मैकाले का लक्ष्य था।[6]

भारत की आजादी के पश्चात भारतीय शिक्षा (Education) व्यवस्था को समय-समय पर सही दिशा देनें के लिए कई प्रयास किए गए । विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिये डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1948-19497 में किया गया था। [7]यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था ।माध्यमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए लक्ष्मणस्वामीमुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग,1952-53 का गठन किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की प्राथमिक ,बेसिक तथा उच्च शिक्षा से सम्बन्धि समस्याओ का अध्ययन कर स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सुझाव देना था।1964-66 डॉ दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। इस आयोग में समाज मे हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव प्रस्तुत किये।यह भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने समय की मांग को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा में लड़कों तथा लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम,व्यवसायिक स्कूल,प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा तथा माध्यमिक स्तर (सेकेण्डरी लेवेल) पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया।वर्तमान में चल रही शिक्षा 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। इस शिक्षा नीति में सबके लिए शिक्षा'' भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी जरूरत है पर बल दिया गया । इस शिक्षा नीति ने समाज को शिक्षित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा में समानता के भाव को उजागर किया ।[8] जिससे कि शिक्षा तक सबकी पहुंच समभव हो सके।स्वतन्त्रता के इन 73 वर्षों के अंतर्गत सत्ता में आसीन सरकार द्वारा शिक्षा (Education) की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई आयोगों तथा नीतियों का निर्माण किया गया। परन्तु उन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में आज तक विफल रही है। शिक्षा की बिगड़ती हुई व्यवस्था उसका एक जीता जागता उदहारण है। सरकार द्वारा शिक्षा की स्थिति या व्यवस्था को सुधारने के लिए जारी किया फंड तथा अनगिनत नीतियां मात्र बन्द आंखों से स्वप्न देखने तक ही सीमित है।[9]

विचार-विमर्श

शिक्षा मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा से व्यक्ति सभ्य नागरिक बनता है व सभ्य नागरिक सभ्य समाज का निर्माण करता है। शिक्षा मानव को आत्म-साक्षात्कार कराकर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, जिसकी जिम्मेदारी अपने घर-परिवार के साथ-साथ देश की रक्षा करने की भी होती है।[10]

आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी प्रणाली का सूत्रपात कर नि:संदेह ही यहाँ की शिक्षा प्रणाली को एक नई ND दिशा प्रदान की। आजादी के बाद तो देश में शिक्षा के क्षेत्र में कई आमूलचूल परिवर्तन हुए।[11] 1947 के बाद भारत में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिससे शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होने के साथ बहुआयामी भी हो गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सरकार नि:शुल्क व अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगी।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़े हुए समाज के कमजोर वर्गों हेतु सरकार द्वारा शिक्षा की विशेष व्यवस्था करने के प्रावधान भी किए गए हैं, ताकि इन वर्गों को सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के चलते शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जा सके।अनुच्छेद-30(1) के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने तथा प्रशासित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।अनुच्छेद-15(1 व 2) के अनुसार-'धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता में विभेद करने पर रोक लगाई गई है।[12]' वैसे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र विकास हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ से ही इन प्रयासों की गति और भी अधिक तीव्र हो गई है। इसी तारतम्य में माह नवंबर 2000 से केंद्र सरकार द्वारा 'सर्व शिक्षा अभियान' का श्रीगणेश किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें काफी हद तक सरकार को सफलता मिली है।इनके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने अपनी रुचि दिखाते हुए कई नए भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए कई कॉलेजों में इस वर्ष सेमिस्टर प्रणाली शुरू की गई है। देश के नौनिहालों को शिक्षित करने के लिए हर गाँव के गली-मोहल्लों में आँगनवाड़ियों की स्थापना की गई है, जहाँ शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को संतुलित भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। यहीं नहीं गाँव के सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है।इसके अलावा प्रबंधन एवं तकनीकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के 6 भारतीय प्रबंध संस्थान व 9 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश-विदेश में अपनी पैठ जमा चुके हैं।[13] इन संस्थानों से

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 1, January 2022 |

निकले छात्र पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।आज हमारा देश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति कर रहा है। भारत के इंजीनियरों व डॉक्टरों की विदेशों में भी माँग है। भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति से प्रभावित होकर कई विदेशी शिक्षा प्राप्ति हेतु भारत की ओर पलायन कर रहे हैं।कौन कहता है आजादी के बाद हमने बहुत कुछ खोया है। सच तो यह है कि आजादी के बाद भारत ने बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की है। कल तक पिछड़ा माने जाने वाला हमारा देश आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। आज साल-दर-साल बालिका शिक्षा में बढ़ोतरी होना, भारतीय छात्रों को विदेशी कंपनियों द्वारा हाथोहाथ लेना तथा और भी कई उदाहरण हमारे शिक्षित होने के द्योतक हैं।[14]

परिणाम

ब्रिटिश काल में शिक्षा में मिशनरियों का प्रवेश हुआ, इस काल में महत्वपूर्ण शिक्षा दस्तावेज में मैकाले का घोषणा पत्र 1835, वुड का घोषणा पत्र 1854, हण्टर आयोग 1882 सम्मिलित हैं। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य के शासन सम्बन्धी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था।[15]

प्राय: लोग इसे मैकाले की शिक्षा प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। लार्ड मैकाले ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के ऊपरी सदन (हाउस ऑफ लार्ड्स) का सदस्य था। 1857 की क्रान्ति के बाद जब 1860 में भारत के शासन को ईस्ट इण्डिया कम्पनी से छीनकर रानी विक्टोरिया के अधीन किया गया तब मैकाले को भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाने के लिये आवश्यक नीतियां सुझाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उसने सारे देश का भ्रमण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां झाड़ू देने वाला, चमड़ा उतारने वाला, करघा चलाने वाला, कृषक, व्यापारी (वैश्य), मंत्र पढ़ने वाला आदि सभी वर्ण के लोग अपने-अपने कर्म को बड़ी श्रद्धा से हंसते-गाते कर रहे थे। सारा समाज संबंधों की डोर से बंधा हुआ था। शूद्र भी समाज में किसी का भाई, चाचा या दादा था तथा ब्राहमण भी ऐसे ही रिश्तों से बंधा था। बेटी गांव की हुआ करती थी तथा दामाद, मामा आदि रिश्ते गांव के हुआ करते थे। इस प्रकार भारतीय समाज भिन्नता के बीच भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। इस समय धार्मिक सम्प्रदायों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1857 की क्रान्ति में हिन्दू-मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। मैकाले को लगा कि जब तक हिन्दू-मुसलमानों के बीच वैमनस्यता नहीं होगी तथा वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित समाज की एकता नहीं टूटेगी तब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन मजबूत नहीं होगा।[16]

भारतीय समाज की एकता को नष्ट करने तथा वर्णाश्रित कर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए मैकाले ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बनाया। अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का लक्ष्य था - संस्कृत, फारसी तथा लोक भाषाओं के वर्चस्व को तोड़कर अंग्रेजी का वर्चस्व कायम करना। साथ ही सरकार चलाने के लिए देशी अंग्रेजों को तैयार करना। इस प्रणाली के जरिए वंशानुगत कर्म के प्रति घृणा पैदा करने और परस्पर विद्वेष फैलाने की भी कोशिश की गई थी। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता एवं जीवन पद्धति के प्रति आकर्षण पैदा करना भी मैकाले का लक्ष्य था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ईसाई मिशनरियों ने भी महत्तवपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों ने ही सर्वप्रथम मैकाले की शिक्षा-नीति को लागू किया।मार्च १८९० में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पहली बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव किया गया था। हर्टांग समिति 1929 ने प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि पर बल न देकर गुणात्मक उन्नति पर जोर दिया था। गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य, शिल्प आधारित शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास कर उसे आत्मनिर्भर आदर्श नागरिक बनाना था। मैकाले ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी सीखने से ही विकाैस संभव है[17]

आजादी के बाद राधाकृष्ण आयोग (१९४८-४९), माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (१९५३), कोठारी शिक्षा आयोग (१९६४), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१९६८) एवं नवीन शिक्षा नीति (१९८६) आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय-समय पर सही दिशा देनें की गंभीर कोशिश की गयी।1948-49 में विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता के साथ कार्यान्वित किया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। पंजाब, गौहाटी, पूना, रुड़की, कश्मीर, बड़ौदा, कर्णाटक, गुजरात, महिला विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बिहार, श्रीवेकंटेश्वर, यादवपुर, वल्लभभाई, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, विक्रम, संस्कृत वि.वि. आदि अनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् शिक्षा में प्रगति होने लगी। विश्वभारती, गुरुकुल, अरविंद आश्रम, जामिया मिल्लिया इसलामिया, विद्याभवन, महिला विश्वक्षेत्र में प्रशंसनीय वनस्थली विद्यापीठ आधुनिक भारतीय शिक्षा के विद्यालय और प्रयोग हैं।1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन से शिक्षा में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।[18]

- १७८० : ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा 'कोलकाता मदरसा' स्थापित
- १७९१ : ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा बनारस में 'संस्कृत कालेज' की स्थापना
- १० जुलाई सन् १८०० : कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की।
- १८१३ : एक आज्ञापत्र के द्वारा शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया।
- १८३५ : मैकाले का घोषणापत्र

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 1, January 2022 |

- १८४८ : महात्मा जोतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने के बाद १८४८ में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला प्राथमिक विद्यालय खोला।[2]
- १८५४ : वुड का घोषणापत्र
- १८५७ : कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।
- १८७० : बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कालेज की स्थापना।
- १८८२ : हण्टर आयोग
- १८८६ : आर्यसमाज द्वारा लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज की स्थापना।
- १८९३ : काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना।
- १८९३ : बड़ोदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने पहली बार राज्य को अनिवार्य शिक्षा से परिचित कराया।
- १८९४-१९२२ : छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा वंचितों और गरीब बच्चों के लिए स्कूलों व छात्रावासों की स्थापना की तथा उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई।

- १८९८ : काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 'सेंट्रल हिंदू कालेज' स्थापित।
- १९०१ : लार्ड कर्ज़न ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया जिसमें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे।
- १९०२ : भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति (लॉर्ड कर्जन द्वारा)
  - स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- १९०४ : भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना।
- १९०५ : स्वदेशी आंदोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और नैशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेकनिकल इन्स्टिट्यूट की स्थापना भी हुई।
- १९०६ : बड़ोदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ भारत के प्रथम शासक थे जिन्होने १९०६ में अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ की।[3]
- १९११ : गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया।
- १९१६ : मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना
- १९३७-३८ : गांधीवादी विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा योजना लागू।
- १९४५ : सार्जेण्ट योजना लागू।
- १९४८-४९ : विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन
- १९५१ : खड़गपुर में प्रथम आईआईटी की स्थापना
- १९५२-५३ : माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन
- १९५६ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना
- १९५८ : दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई में स्थापित
- १९५९ : कानपुर एवं चेन्नई में क्रमशः तीसरा एवं चौथा आईआईटी स्थापित।
- १९६१ : एनसीईआरटी की स्थापना
  - प्रथम दो भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद एवं कोलकाता में स्थापित किए गए।

- १९६३ : पाँचवां आईआईटी दिल्ली में स्थापित किया गया।
  - तीसरा I.I.M. बंगलौर में स्थापित।
- १९६४-६६ : कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना, रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- १९६८ : कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई।
- १९७५ : छह वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारम्भ।
- १९७६ : शिक्षा को 'राज्य' विषय से "समवर्ती" विषय में परिवर्तन करने हेतु संविधान संशोधन।
- १९८४ : लखनऊ में चौथा IIM स्थापित।
- १९८५ : संसद के अधिनियम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना।
- १९८६ : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया|
- १९८७-८८ : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) स्थापित।
  - राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 1, January 2022 |

- १९९२ : आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन
- १९९३ : संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्थापित।
- १९९४ : उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना। (बंगलौर में मुख्यालय)
    - गुवाहाटी में छठे IIT की स्थापना।
- १९९५ : प्राथमिक स्कूलों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना आरम्भ की गई।
- १९९६ : पाँचवाँ IIM कोझीकोड में स्थापित
- १९९८ : छठा IIM इंदौर में स्थापित

- २००१ : जनगणना में साक्षरता दर 65.4 % (समग्र), 53.7 % (महिला)
    - पूरे देश में गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ।
    - रूड़की विश्वविद्यालय सातवें IIT में परिवर्तित।
- २००२ : मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन।
- २००३ : 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिवर्तित।
- २००४ : शिक्षा को समर्पित उपग्रह "एडूसैट" (EduSat) छोड़ा गया।
- २००५ : संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग गठित।
    - एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 स्वीकृत।

- २००६ : कोलकाता और पुणे में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित।
- २००७ : सातवां IIM शिलांग में स्थापित किया गया।
    - मोहाली में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया।
    - राष्ट्रीय संस्कृत परिषद गठित।
    - केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम अधिसूचित।
- २००९ : भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) पारित।
- २० मार्च २०१८ : ६२ विश्वविद्यालयों और ८ महाविद्यालयों (जिनमें जेएनयू, बीएचयू और एचसीयू सहित पाँच केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं) को स्वायत्तता देने की घोषणा [4]
- २९ जुलाई, २०२० : नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०२० लागू ।[18]

निष्कर्ष

शिक्षा के महत्व और उपयोगिता को कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता। यद्यपि भारत में शिक्षा का विकास क्रम औपनिवेशिक कालीन सरकारों ने शुरू किया। मगर उनका उद्देश्य भारतियों को शिक्षित करने से कहीं अधिक अपने लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो उनका वफादार रहे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किये गए कार्यों ने भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया। आजादी के 7 दशकों के दौरान, भारत की शिक्षा प्रणाली धीरे-धीरे विकसित हुई है, लेकिन अभूतपूर्व रूप से। 1951 में 18% की साक्षरता दर से, हम 2011 तक 73% तक बढ़ गए हैं। वर्तमान में, भारत में शिक्षा प्रणाली 315 मिलियन से अधिक छात्रों की मेजबानी करने वाली दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे बड़ी है.1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उन्हें स्वतंत्रता मिली, जिसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में उल्लेखनीय सुधार हुआ; हालांकि, निरक्षरता उच्च बनी रही। भारत द्वारा अपनाए गए नए संविधान ने देश की समग्र प्रशासनिक नीति को नहीं बदला। शिक्षा राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी बनी रही, और संघ (केंद्र) सरकार शैक्षिक सुविधाओं के समन्वय और उच्च शिक्षा और अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में उचित मानकों के रखरखाव की जिम्मेदारी लेती रही। 1830 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो देश में अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम को लाए थे।[16] पाठ्यक्रम तब भाषा, विज्ञान और गणित जैसे सामान्य विषयों तक सीमित था। कक्षा शिक्षण प्रमुख हो गया और एक शिक्षक और छात्र के बीच संबंध विकसित हुआ। 1950 में भारत सरकार ने शिक्षा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं के विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए योजना आयोग की नियुक्ति की। तत्पश्चात, क्रमिक योजनाएं (आमतौर पर पांच साल के आधार पर) तैयार की गईं और उन्हें लागू किया गया। इन योजनाओं के मुख्य लक्ष्य थे.... (1) सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, (2) निरक्षरता का उन्मूलन करना, (3) व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना, (4) शिक्षा के सभी चरणों के मानकों को उन्नत करना और आधुनिकीकरण करना, विशेष बल के साथ तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और

पर्यावरण शिक्षा पर, नैतिकता पर, और स्कूल और काम के बीच संबंध पर, और (5) देश के हर जिले में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा प्रदान करना।[17]

योजना आयोग के लक्ष्य – विश्वविद्यालय आयोग का गठन

1947 से भारत सरकार ने शैक्षिक सुधारों का सुझाव देने के लिए तीन महत्वपूर्ण आयोग भी नियुक्त किए.....1949 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, मूल्यांकन की तकनीक, निर्देश के माध्यम, छात्र सेवाओं और शिक्षकों की भर्ती के संबंध में बहुमूल्य सिफारिशें कीं।1952-53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मुख्य रूप से माध्यमिक और शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया।1964-66 के शिक्षा आयोग ने शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की। इसने शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक राष्ट्रीय नीति को विकसित किया। आयोग की रिपोर्ट ने जुलाई 1968 में भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से जारी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नीति पर एक संकल्प का नेतृत्व किया। इस नीति को 1986 में संशोधित किया गया। नई नीति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी, नैतिकता और राष्ट्रीय एकीकरण पर जोर दिया गया। पूरे देश में अध्ययन की एक सामान्य योजना प्रदान करने के लिए एक मुख्य पाठ्यक्रम शुरू किया गया था।[15]

राष्ट्रीय विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा का राष्ट्रीय विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक हिस्सा था, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री करते थे। शिक्षा के एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श दिया। शिक्षा विभाग से जुड़े कई स्वतंत्र संगठन थे।सबसे महत्वपूर्ण निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (1945),विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1953) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (1961) थे।पहले निकाय ने तकनीकी शिक्षा पर सरकार को सलाह दी और तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए मानकों को बनाए रखा।दूसरे निकाय ने विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा दिया और समन्वित किया और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित और बनाए रखा। इसके पास विश्वविद्यालयों के वित्तीय संसाधनों की जांच करने और अनुदान आवंटित करने का अधिकार था।तीसरे निकाय ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहायता और सलाह दी।[14]

केंद्रीय विद्यालयों संचालन

केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए लगभग 1,000 केंद्रीय विद्यालयों को चलाया और उनका रखरखाव किया। इसने योग्य उच्च प्राप्तकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों का भी विकास किया, भले ही भुगतान करने की क्षमता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा संबंधी सुधार

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में निर्दिष्ट किया गया था कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा विद्यालय स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकारें अन्य सभी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार थीं। स्थितियाँ, सामान्य तौर पर, संतोषजनक नहीं थीं, हालाँकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न थीं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी।[12]

शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि

1950 से 80 के दशक तक, भारत में शैक्षणिक संस्थानों की संख्या तीन गुना हो गई। प्राथमिक विद्यालयों ने, विशेष रूप से तेजी से विकास का अनुभव किया क्योंकि राज्यों ने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश को पूरा करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।अधिकांश, लेकिन सभी नहीं, बच्चों के पास उनके घरों के 1 किमी (0.6 मील) के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल था। हालांकि, इन स्कूलों का एक बड़ा प्रतिशत कम कर्मचारियों वाला था और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। सरकार ने, जब 1986 में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति को संशोधित किया, तो यह संकल्प लिया कि 1990 तक 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को पाँच वर्ष की औपचारिक स्कूली शिक्षा या इसके समकक्ष होगी।शिक्षा की वयस्क और गैर-औपचारिक प्रणालियों में सुधार या विस्तार के लिए भी

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 1, January 2022 |

योजनाएँ बनाई गईं। हालाँकि, राजनीतिक दलों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, शिक्षक राजनेताओं, छात्र राजनेताओं और अन्य समूहों के बीच मतभेद और शिक्षा के परिणामी राजनीतिकरण ने हर स्तर पर प्रगति को बाधित किया।[16]

प्रवेश और शैक्षणिक संस्थान

2019 तक, भारत में देश में सबसे अधिक छात्र हैं। 1947 की दुखद स्थिति की तुलना में जब देश में केवल 400 स्कूल थे, 5000 से कुछ अधिक छात्रों वाले 19 विश्वविद्यालय थे, हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। वर्तमान में, भारत में 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 751 विश्वविद्यालय और 35 हजार से अधिक कॉलेज हैं।[17]

आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण

21वीं सदी की पीढ़ी की जरूरतों के अनुसार ज्ञान वितरण के तरीकों को आधुनिक बनाने के लिए, स्कूल और विश्वविद्यालय विभिन्न अनूठी प्रथाओं को अपना रहे हैं। ये पद्धतियां और अभिनव शिक्षा शिक्षण संस्थानों को शिक्षार्थियों के कौशल को इस तरह विकसित करने में सक्षम बनाती हैं कि वे आत्म-निर्भर और महत्वाकांक्षी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं। इनमें से कुछ नए-पुराने तरीके हैं:अनुभवात्मक अधिगम: जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुभवात्मक अधिगम, करने या अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है, और इसे विशेष रूप से "करने पर प्रतिबिंब के माध्यम से सीखना" के रूप में परिभाषित किया गया है। सीखना तभी अच्छा परिणाम देता है जब शिक्षार्थियों में ज्ञान को आत्मसात करने की इच्छा होती है। इसलिए, अनुभवात्मक अधिगम में शिक्षा के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण शामिल है जो सैद्धांतिक पहलू और एक कक्षा से परे जाता है और सीखने का एक अधिक सम्मिलित तरीका लाने का प्रयास करता है, पीयर लर्निंग: पीयर लर्निंग बहुत सारे विश्वविद्यालयों और बी-स्कूलों में एक सक्रिय सीखने की रणनीति का हिस्सा बन गया है। अध्यापन का यह रूप छात्रों को अपने सहपाठियों / साथियों के साथ बातचीत करने और बिना किसी पर्यवेक्षण प्राधिकरण के कक्षा से परे एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह खुले संचार का वातावरण बनाता है जो सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शोध से पता चला है कि मुक्त संचार के वातावरण में संलग्न छात्र अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।[11]

एड-टेक का उदय: पिछले एक दशक से, शिक्षार्थियों की नई पीढ़ी ऐसे पाठ्यक्रमों की तलाश कर रही है जो अनुभवात्मक और इंटरैक्टिव प्रकृति के हों और प्रामाणिक कौशल विकास की सुविधा प्रदान करते हों। यहीं पर एडटेक अपनी पहचान बना रहा है। Google और KPMG की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन शिक्षा में 2021 तक $1.96 बिलियन को छूने की क्षमता है, क्योंकि स्कूल जाने वाले छात्रों से लेकर MBA के इच्छुक लोगों से लेकर बहुराष्ट्रीय निगमों और उद्यमियों के CXO तक, हर कोई एक संभावित शिक्षार्थी है।आइए दो अलग-अलग एडटेक स्टार्ट-अप्स के उदाहरणों पर विचार करें। ऐप आधारित एडटेक कंपनियों में से एक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सीखने को मजेदार बनाने की दिशा में आगे बढ़ी है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, उच्च शिक्षा क्षेत्र में एडटेक स्टार्टअप प्रीमियम भारतीय और अंतरराष्ट्रीय बी-स्कूलों के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जो कामकाजी पेशेवरों की पहुंच के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।संचार का विकास, सस्ता इंटरनेट, Gamification, और AI और ML- संचालित लर्निंग प्लेटफॉर्म देश और विश्व स्तर पर बदलते चेहरे की शिक्षा के पीछे कुछ कारण हैं। स्मार्टफोन क्रांति ने एडटेक को उड़ान भरने के पंख भी दिए हैं। शिक्षक अब ज्ञान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं।स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने कृषि, उद्योग और सामाजिक उन्नत्ति के जो भी प्रयास किये वह निश्चित रूप से एक क्रन्तिकारी प्रयास थे। हमें याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के बाद भारत की स्थिति दयनीय थे, इसके बाबजूद तत्कालीन सरकार/सरकारों ने शिक्षा के महत्त्व को समझते हुए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया।आज भारत के तकनीकी संस्थानों ने निकले विषेशज्ञों ने जिस प्रकार दुनिया में आपने नाम किया है वह उन नीतियों का ही परिणाम है जो सवंत्रता के पश्चात् लागू हुई। यद्यपि वर्तमान समय में सरकारी संस्थानों के प्रति सरकार का रवैया उदासीन है।[18]

संदर्भ

1) http://www.ifsj.in/Icons-Details/?id=5 वंचितों के लिए स्कूलों व छात्रावासों की स्थापना
2) ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 4 सितंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 जुलाई 2017.
3) ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 14 अप्रैल 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 जुलाई 2017.
4) ↑ "अब जेएनयू और बीएचयू समेत 60 संस्थान खुद लागू कर सकेंगे नियम, यूजीसी ने दी स्वायत्तता". मूल से 3 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अप्रैल 2018.
5) भारतीय शिक्षा का स्वर्णिम अतीत

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 1, January 2022 |

6) कैसी थी पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति? (आन्नद सुब्रमण्यम शास्त्री)
7) आधुनिक भारतीय शिक्षा का विकास
8) भारत में नारी शिक्षा का इतिहास
9) भारतीय परिवेश में भाषा, समाज, संस्कृति और शिक्षा का अन्त:संबंध
10) History of Indian Education
11) British Education In India
12) हमें गर्व हैं भारतीय शिक्षा के स्वर्णिम अतीत पर
13) मैकाले की प्रासंगिकता और भारत की वर्तमान शिक्षा एवं समाज व्यवस्था में मैकाले प्रभाव
14) भारत की वर्तमान शिक्षा एवं समाज व्यवस्था में मैकाले प्रभाव
15) 18वीं सदी में दुनिया में सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थाएँ भारत में थीं (भारतीय शिक्षा)
16) भारत में शिक्षा का विकास (vivacepanorama)
17) Evolution of educational thought in India (लेखक - भँवर लाल द्विवेदी)
18) Education in Karnataka through the ages by Jyotsna Kamat